न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

बनवारी लाल शर्मा पुत्र भरोसी लाल शर्मा पता दीक्षित भवन ग्राम व पोस्ट महोली तहसील व जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तहसील करौली — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.—24/19 ता.रजु 22.10..2019

अपीलअंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक—11.11.2019

1. अपीलाण्टउपस्थित।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को दिनांक—30.08.2019 को आवेदन पत्र प्रेषित कर हल्का पटवारी का कार्यालय ग्राम पंचायत महौली में कहां पर है, कार्यालय खुलने का समय क्या है, या किस तारीख पर पटवारी मिलते है यदि नही तेा कृषक/पब्लिक के आवश्यक कार्यो की क्या व्यवस्था है से संबंधित सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 30.08.2019 को प्रेषित आवेदन पत्र की छायाप्रति, आवेदन पत्र के साथ संलग्न शुल्क का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
5. लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार करौली से प्राप्त जबाव पत्रांक 853 दिनांक 06.11.2019 से अपीलाण्ट को पत्र क्रमांक 572 दिनांक 12.09.2019 से अपीलाण्ट को सूचित किया जा चुका है।
6. अस्तु इस कार्यालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
7. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:13:12 IST
Reason: SelfAttested